तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 297/2022 अनवान पुरखा बनाम चन्द्रादेवी वगैराह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
16/04/2025		

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 05 व 23 से 27 उपस्थित। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3128/900 रकबा 2.0234 हैक्टयर व खसरा संख्या 3086/900 रकबा 1.5054 हैक्टयर व खसरा संख्या 902 रकबा 0.19 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील अप्रार्थी संख्या 05 व 23 से 27 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नही किया। अतः वकील अप्रार्थी संख्या 05 व 23 से 27 का जवाब बन्द किया जाता है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब करवाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक 171 दिनांक 06.02.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3128/900 रकबा 2.0234 हैक्टयर व खसरा संख्या 3086/900 रकबा 1.5054 हैक्टयर व खसरा संख्या 902 रकबा 0.19 बीघा भूमि में मौके पर खातेदारान की ढाणी बनी हुई है एवं पुरानी माठे बनी हुई है। खसरा संख्या 902 गीतादेवी पत्नी जुंजाराम नाई हिस्सा 1/6 पुरखाराम पुत्र द्वारका नाई हिस्सा 1/4 पवन पुत्र जुंजाराम नाई हिस्सा 1/6 शंकरा पुत्र द्वारका नाई हिस्सा 1/4 हितेश पुत्र जुंजाराम नाई हिस्सा 1/6 के नाम दर्ज है व खसरा संख्या 3128/900 व 3086/900 पुरखा पुत्र द्वारका नाई के नाम दर्ज है। इन खसरों के पास भुरटिया रोड बनी हुई है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के सम्बन्ध

उप खण्ड अधिकारी

में प्रार्थी के कब्जे से अधिक/कम रकबे का विवाद एवं सीमाओं के ज्ञान भूमि को नाप करने एवं नेखमबन्दी करने से उभय पक्षों का विवाद समाप्त हो सकता है। मुश्तकिल बिन्दु से सीमांकन करते हुए प्रार्थी के खेत की नेखमबन्दी किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थी मौजा बाडमेर आगोर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगोर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 3128/900 रकबा 2.0234 हैक्टयर व खसरा संख्या 3086/900 रकबा 1.5054 हैक्टयर हिस्सा पूर्ण व खसरा संख्या 902 रकवा 0.19 बीघा (भूमि में हिस्सा 1/4) के मुश्तकिल बिन्दु से सीमांकन करते हुए चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर